

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1122

लखनऊ, दिनांक 15-5-2019

:-कार्यालय धाप:-

अखिल भारतीय सामग्री शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 14-5-2019 से 2019-20 हेतु विप्लोम स्तरीय तकनीकी शिक्षण सम्बद्धता को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता वितरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदन मई संख्याओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता पुष्टि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के बाद ही विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था को प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पहले विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

**"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध ऐसी निम्न विप्लोम स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने सत्र 2019-20 से संस्था में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों में कमी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"**

आगे निम्नानुसार संचालित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा निर्णय एवं निर्णय की आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित संस्थाओं के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ विप्लोम स्तरीय सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1122	राजीव कल्याण डीए कॉलेज, इन्फो बस स्टेशन, फाट-कलकत्ता, नारायणपुरा, नारायणपुरा।	सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (एनआई) इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल अनुसंधान सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग	50 50 50 30	30 30 30 30

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करती।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एच0 एच0एच द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्दिष्ट विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करती।
- ✓ सत्र 2019-20 हेतु विप्लोम स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्क सत्र 2019-20 हेतु एच0 एच0एच द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष। जो सत्र 2019-20 हेतु एच0 एच0एच द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हेतु रु० 22,500.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रेषित किया जाएगा। संस्थाओं का अतिरिक्त धन/सहायता से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर वास्तविकता द्वारा निर्णय किये जाने वाले प्रमाणपत्रों पर कार्य हेतु, और लक्ष्यपूर्वक कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। प्रेषित विप्लोम समिति द्वारा दिनांक 15-5-2019 हेतु कृपया का पुनर्निर्धारण किया जाता है। ता कृपया की पर्याप्तता पर ध्यान दें।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा संशोधन) तथा एक (निर्देशित) संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाए। (विनिश्चयकारी-2019 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।)
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को भी प्रवेश दिया जाएगा। शीर्षों के शिक्षा सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्यात शासनादेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित किया जाएगा होगा।
- ✓ संस्था को एम.एड.सी.टी.डी. से अवगती तरह हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाये आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इकाई एवं विधि/विधवा/व्यवस्था/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशन, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा एवं विद्यालय विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ विद्यमान हुए धार्मिकी पाठ्यक्रम की संशोधन एवं विद्यालय में अनुपालन प्राप्त करने में आवश्यक शर्तों है कि इन संस्था में संशोधन आवश्यकताएं संस्था को होगा जो निर्दिष्ट रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशनालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को जोड़ कर प्रवेश किया जाये कि तथा उत्तर प्रदेश की संस्था में मा. शासनादेश द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी निर्देशन प्राप्त किया जाये, कि संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यमान हुए धार्मिकी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाला संस्थाओं को अनुपालन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा प्रवेश पर्ये के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु अनुपालन प्राप्त करने के पूर्व एम.एड.सी.टी.डी. से अनुपालन प्राप्त कर संबंधित कार्यवाही का अनुपालन करना होगा। (आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अधिक संस्था उत्तर पर शीर्ष प्रवेश) अनुपालन नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्यात सर्वोत्तम संशोधन विद्यालय का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था का (वित्तीय) बुद्धिबुद्धि, स्टॉक, साइ-संस्था उपकरण प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित-उपकरण सुनिश्चित का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त शासनादेश उपलब्ध करने के साथ, शिक्षा राज्य के संस्था में संशोधन प्राप्त प्राप्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रशासनिक/व्यवस्थागत/शासनादेश का पालन करने हेतु निर्देशन समिति को संस्था उपलब्ध कराने एवं अधिनियम भूमि-संस्था, कार्यवाही, उपकरण, शासनादेश का प्रति संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संशोधन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी करनी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है कि उपरोक्त संस्था को सम्बद्धता संशोधन किया जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाये (अथवा शर्तों का अनुपालन किया जाने की स्थिति में निर्यातनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।)

/

(सतीश कुमार मिश्रा)  
सचिव

सूचिका- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1155-2752

तार दिनांक 15-5-2019

प्रतिलिपि- जलानायाच/निर्देशक, राष्ट्रीय कल्याण देव पार्टी, इस्टीम वेतल। सादर। पीर-उद्योगी, जलाना, मुजफ्फरनगर।

/

(सतीश कुमार मिश्रा)  
सचिव





कार्यालय:

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय त्प:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1175-SWAMI KALYANDEV POLYTECHNIC INSTITUTE, BEHRA SADAT, POST-KAKRAOLI JANSATH, MUZAFFARNAGAR**

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	90	90
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वषीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वषीय फार्मसी



पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (3000 प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करता होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता

समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SWAMI KALYANDEV POLYTECHNIC INSTITUTE, BEHRA SADAT, POST-  
KAKRAOLI JANSATH, MUZAFFARNAGAR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव